मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में नारी :
एक ऐतिहासिक अध्ययन

(मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के विशेष संदर्भ में)
(पाँचवीं शताब्दी ई0पू0 से द्वितीय शताब्दी ई0पू0)

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, (सामाजिक विज्ञान संकाय)
राँची विश्वविद्यालय, राँची में पीएच0डी0 उपाधि हेतु समर्पित
प्रस्तावित शोध प्रारूप की रूपरेखा

2024

शोध निर्देशक

डॉ0 राज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

शोधार्थी

आशिष चन्द्रा
इतिहास विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में नारी : एक ऐतिहासिक अध्ययन

(मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के विशेष संदर्भ में)

(पाँचवीं शताब्दी ई0पू0 से द्वितीय शताब्दी ई0पू0)

विषय की अद्यतन स्थिति

(State of Art)

विश्व के किसी भी सभ्यता में नारियों को उतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं है जितना भारत में महिलाओं को प्राप्त था, अर्थात किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उस सम्यता में स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना है। स्त्री की दशा किसी भी देश की संस्कृति का मापदण्ड मानी जाती हैं संहिता साहित्य में भी समाज के अभ्युथान एवं उत्कर्ष में नारी एवं नर दोनों का समान योगदान रहा है। वैदिक कालीन समाज में नारियों की स्थिति पुरूषों के समान थे। जैसे–जैसे सभ्यता का विकास हुआ पुरूषवादी सत्ता का विकास प्रारंभ हुआ। नारियों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति धीरे–धीरे ह्रास होने लगा। पांचवी शताब्दी ई0पू0 से लेकर द्वितीय शताब्दी ई0 पू0 के बीच भारत के अनेक बहुमूल्य ग्रंथ लिखे गये। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियां इसो कालखण्ड में सृजित ऐसे ही ग्रंथ है, जिनमे नारी दशा का सुस्पष्ट लेखन हुआ है। स्मृतियां हिन्दू धर्म के आचार संहिता (कानूनी ग्रंथ) है। स्मृति काल में पुत्र एवं पुत्रियों के महत्व में अंतर उत्पन्न हो गया था। इसी कालखण्ड में पुत्र जन्म पर हर्ष एवं पुत्रियों के जन्म पर शोक मनाने की स्पष्ट परम्परा का प्रारंभ हो गई।

मनुस्मृति का काल 300 ई0पू0 से 200 ई0पू0 माना जाता है। यहीं से समाज में महिलाओं की दशा में स्पष्ट गिरावट दिखाई देने लगता है। स्मृति काल में शनैः–शनैः नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा।

200 ई0पू0 के बाद नारी शिक्षा संबंधी अधिकार की विवेचना की जाने लगती है। शिक्षा के अधिकार से वंचित होने के कारण उनकी विवाह जल्दी करने की परम्परा प्रारम्भ हुई। विवाह कम उम्र में होने के कारग्ण समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक – प्रथाएँ प्रचलन में आ गई। अर्थात् नारी के सामाजिक शिक्षा के अधिकार समाप्त होने के कारण उनके धार्मिक अधिकार भी समाप्त हो गया। ऐसा माना गया कि अशिक्षा के कारण वे वेदों के उच्चारण सही–सही नहीं कर पायेगी। जिसके कारण उन्हें पति के साथ पूजा में बैठने का अधिकार भी समाप्त कर दी गई।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रिया।।"

स्मृतिकाल का यह चिर–परिचित श्लोक 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' इस बात का संकेत करता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था। पुरुष प्रधान व्यवस्था के बावजूद महिलाओं का समाज में सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हें आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

प्राचीन भारतीय इतिहास में वेद युग महिला के उत्थान का पराकाष्ठा काल माना जाता है। उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की दशा समाज में अवनत हो गयी थी। पुत्री का जन्म दुःख का कारण समझा जाता था और पुत्र मनोकामना का लक्ष्य माना जाता था। कन्या को कष्ट और दुःख का स्त्रोत माना जाता था और पुत्र को वंश का रक्षक। उत्तर वैदिक काल के अन्तिम चरण में महिलाओं के उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विवाह के अतिरिक्त उसका सम्पूर्ण संस्कार बिना वैदिक मंत्रोचार के होने लगा। कुछ स्त्रियां शिक्षित भी थी। उपनिषदों में यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जहां एक ओर दर्शाते हैं कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त करती थी वहां इस बात का भी संकेत मिलते हैं कि

संभवतः इसकी भी कुछ सीमा थी। स्पष्ट होता है कि उस काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा निम्न और परंतु उपनिषदों वाले वैदिक काल में स्त्रियों ने ज्ञान के क्षेत्र में अपनी स्थिति कायम की। इस संबंध में उपनिषद में उल्लेखित मनोरंजक घटनाओं की चर्चा अप्रसांगिक न होगी। गार्गी ने दार्शनिकों की सभा में परविधा की विज्ञता प्रकट की थी। विदेह के महाराजा जनक ने एक बार यज्ञ किया। इस यज्ञ में विद्वानो, ब्राह्मणो पधारे जिनमें कुरू एवं पंचाल के भी ब्राह्मण को जनक ने परखना चाहा कि उनमें कौन सबसे अधिक विद्वान है। उन्होंने एक हजार गायें खड़ी कर दी, प्रत्येक गाय की सींग में दस–दस स्वर्णपद बांध दिए और उपस्थित ब्राह्यणों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं वह इन गायों को हांक कर ले जाए। महान दार्शनिक यज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को हांक के ले जाने को कहा तथा प्रसिद्ध विदुषी गार्गी के सारे प्रश्नों का उत्तर देकर निरूत्तर कर दिया।

वृहदारण्यकोपनिषद से ज्ञात होता है कि गार्गी ने गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर याज्ञवल्क्य से वाद–विवाद किया। उसने आत्मा के रहस्य पर शास्त्रार्थ किया तथा जो साक्षात उपरोक्ष ब्रह्य सर्वान्तर आत्मा है उस विषय पर याज्ञवत्क्य से अति प्रश्न किया। इस प्रसंग में याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी। अति प्रश्न मत कर। तेरा मस्तक न गिर जाय। तीसरी शताब्दी के बाद यज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पराशर संहिता की रचना हुई जिनमें वेदों के नियमों को पूर्णतया तिलांजित देकर मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मान लिया गया। यह काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। महिलाएं भी इसी संकीर्णता विचारधारा का प्रकोप बनी। गृह सूत्रों से पता चलता है कि कन्या का पालन पोषण पुत्रवत को प्यार करता है। उसी प्रकार पुत्री को भी प्यार करता था। आपस्तंब गृह सूत्र के एक उदाहरण में कहा गया है कि प्रवास से लौटने पर पिता दो मंत्रों 'अगददात' तथा 'अश्यायव' से पुत्र को अभिमंत्रण करे और उसके

सिर को सूंघे। दाहिने कान में अग्निरामुष्मान न वनस्पति भिः आदि मंत्रो का जाप करे। पुत्री का सर्वस्मादाम्यन सम्भूतासि से अभिमंत्रण करे। मनुस्मृति में भी कन्या के प्रति प्रेम एवं अत्याधिक स्नेहथा। अतः मनुस्मृति में वर्णित है कि कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करने से मनुष्य का कल्याण होता है। कन्या के प्रसन्न रहने पर उसके कुल देवता खुश होते हैं। जिस कुल में कन्या उदास रहती है वह कुल नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में एक स्थल पर पुत्र की बराबरी पुत्री से की गई तथा कहा गया है कि पुत्री पुत्र के बराबर है इसलिए दाय ले सकती है। जिस प्रकार आत्मा है उसी प्रकार पुत्री है। अर्थात आत्मस्वरूप उस पुत्री के वर्तमान रहने पर दूसरा संपति कोई कैसे लेगा। विष्णु स्मृति एवं वृहस्पति स्मृति के अनुसार किसी व्यक्ति के देहांत के बाद पत्नियां और अविवाहित कन्याएं पुत्रों के साथ दाँय भाग की अधिकारिणी है। मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णों के अतिरिक्त किसी पांचवे वर्ण की उत्पति ही नहीं की है। ईश्वर ने समस्त विश्व की रक्षा के लिए इन चार वर्ण की सृष्टि की और उनके अलग–अलग कर्त्तव्य निश्चित किए। अर्थात मनुस्मृतिकार मनु नारी के महत्व से परिचित थे। मनुस्मृति के अनुसार जिस समाज और परिवार में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। स्पष्ट है कि वहां अलौकिक गुण और सुख समृद्धि निवास करते हैं। इसके विपरीत जहां स्त्रियों की अवमानना होती है उनका अनादर करने वालों के सभी काम निष्फल होते हैं अथात् मनुस्मृति या मनु के नियमों को ब्राह्यणवादी परंपरा में सबसे अतिरिक्त ग्रंथों में से एक माना जाता है जो धर्म के संरक्षण के लिए आवश्यक सामाजिक और नागरिक कानूनों तथा आचार संहिताओं को बताती है। यह चार सामाजिक वर्गों या वर्णों ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र के पुरूषों और महिलाओं के लिए आचरण और उनके बीच पारस्पारिक संबंधों के नियमों को निर्धारित करता है। अर्थात् वैदिक साहित्य में जहां कन्या का विवाह यौवनारंभ में करने की बात की

गई हे वही धर्म सूत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि आदर्श यही है कि रजोदर्शन के समय तक कन्या का विवाह हो, गुप्त युग में विवाह की आयु बहुत कम कर दी गई थी। बाल–विवाह का चलन काफी हो गया था। स्मृतिकारों के अनुसार पिता को अपनी पुत्री राजस्थला होने के पूर्व ही दान कर देनी चाहिए। यह धारणा गुप्त युग में प्रबल रूप से व्याप्त थी। राजस्थला पुत्री की कन्यादान पिता के नरकगामी बनाता है। जैसी धारणा गुप्त काल में व्याप्त थी। मनुस्मृति समय पर (रजोदर्शन के पूर्व) कन्या दान नहीं करने वाले पिता की निन्दा करते हैं। कन्या रजोदर्शन के बाद विवाह करने वाला पिता कन्या के स्वामित्व से हीन हो जाता है। याज्ञवल्क्य एवं सभी स्मृतिकार बाल विवाह के समर्थक है। याज्ञवल्क्य की भावना है कि कन्यादान का अधिकारी व्यक्ति यदि कन्यादान नहीं करता है तो कन्या के प्रत्येक ऋतुकाल में उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। परासर मुनि ने कन्या के विवाह के संदर्भ में कहा है कि आठ वर्ष की गौरी नव वर्ष की रोहिणी, दस वर्ष की कन्या इसके उपर रजस्वला कन्या की संज्ञा दी गई है।

विषय वस्तु का आंकलन

(Statement of Research Problem to be Investigation)

प्राचीन काल से ही जीवन के प्रत्येक पग पर पुरूष व नारी के मध्य परस्पर सहयोग एवं व्यवहारिकता की भावना व्यवस्थित करने में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार की भावनाओं के विकास के दो रूप को गृहस्थ जीवन तथा धार्मिक क्षेत्र में सहचर्य की भावना का स्थापित होना, इस क्रम में एक विचारणीय एवं तथ्यात्मक प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राचीन काल में ऐसे कौन से दबाव एवं नियंत्रण थे? कौन सी परिस्थितियों एवं संस्थाए थी? कौन सी ऐसी जटिलता थी जिसने नारी की स्थिति समाज में तथा परिवार में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो गई?उत्पादन की गतिविधियां में परोक्ष रूप से भाग लेते हुए भी उत्पादन का सारा श्रेय पुरूष वर्ग ले रहे थे तथा

नारी इससे वंचित रह गयी। नारी को शिक्षा संबंधी अधिकारों से वंचित कर उनके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित किया गया।

साहित्य समीक्षा

(Review of Literatures)

साहित्य समीक्षा शोध प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में नारी : एक ऐतिहासिक अध्ययन (पाँचवी शताब्दी ई0पू0 से द्वितीय शताब्दी ई0पू0) है अर्थात शोध प्रक्रिया और अनुसंधान की अवधारणा में सामंजस्य स्थापित करना एक जटिल कार्य है। प्रस्तावित शोध प्रारूप के विषय वस्तु जटिल हैं। इस पर सामग्री का भी अभाव है परंतु उपलब्ध पाठय्पुस्तक एवं अन्य सामग्री का सहयोग मिला इस क्रम में अंत सदाशिव अल्टेकर की 1992 में प्रकाशित पुस्तक एडुकेशन इन ऐशिर्यंट इण्डिया में स्मृति काल अर्थात् मनुस्मृति और याज्ञवलक्य स्मृति में नारियों की स्थिति का वर्णन किया गया है। स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपनिषद् कालीन विदुर्षी गार्गी ने अपने समय के सुप्रसिद्ध विक्षन याज्ञवलक्य से आत्मा एवं ब्रह्म जैसे दुरनह विषय पर शास्त्रार्थ किया। इन सभी तथ्यों को विश्लेषित करते हुए उजागर किया गया है। राम जी उपाध्याय के ग्रंथ भारत की प्राचीन संस्कृति में मनुस्मृति में नारियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जगदीश्वर चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ स्त्रीवादी साहित्य विमर्श में प्राचीन काल में नारियों के शिक्षा व्यवस्था एवं चरित्र चित्रण का विवेचना मिलता है। जिसमें स्मृति कालीन नारियों के कार्य और जीवन शैली का स्पष्ट रूप से विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ विमेन इन ऋग्वेद में नारियों के शिक्षा व्यवस्था को रेखांकित करती है।

अच्युतानंद धिन्डियाल के प्रसिद्ध ग्रंथ प्राचीन सामाजिक संस्थाएँ नामक पुस्तक में वर्णन किया गया है कि संहिता साहित्य में भी समाज के अभ्युत्थान एवं उत्कर्ष में नारी एवं नर दोनों का समान योगदान रहा है। दोनों को समान रूप से कार्य विभाजन किया गया था। श्री कृष्ण ओझा के द्वारा प्रकाशित प्राचीन भारतीय चिंतन में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि मनुस्मृति में और याज्ञवलक्य स्मृति में नारियों को दिये गये अधिकारों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वी.भी काण्डे के ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में वैदिक कार्य की व्यवस्था पुराणों में की गई है। वैदिक विश्वास तथा उपासना में नारी देवियों का स्थान नगण्य था किन्तु पौराणिक उपासना में पुरूष देवता के साथ नारी देवी का महत्व बढ़ने लगा जैसी तथ्य तथ्यात्मक विचारों का विवेचना किया गया है।

प्रतिभा जैन एवं संगीता शर्मा के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भारतीय स्त्री में वैदिक काल को भारतीय नारी के गौरवशाली काल के रूप में दर्शया गया है। एल. भार्गव के पुस्तक इण्डिया इन वैदिक एज द अपर इण्डिया में स्पष्ट रूप से किया गया है कि याज्ञवलक्य ने तो स्पष्ट शब्दों में नारियों के लिए उपनयन संस्कार का विरोध किया है। जैसे तथ्यों का विश्लेषित किया गया है।

जयशंकर मिश्रा के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास में उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में महिलाओं के उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विवाह के अतिरिक्त उसका सारा संस्कार बिना वैदिक मंत्रोच्चार के होने लगा। जैसे पहलुओं का विवेचना किया गया है।

उमेश चन्द्र पाण्डेय के प्रकाशित ग्रंथ याज्ञवलक्य स्मृति में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सामाजिक स्थिति और उपनिषदों में याज्ञवलक्य गार्गी संवाद को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है।

चन्द्रवली त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास में मनुस्मृति में कहा गया है। कि जैसे आत्मा और पुत्र समान है उसी प्रकार पुत्र और पुत्री समान है इसलिए आत्मा के सदृश कन्या रहते हुए दूसरा धन कोई कैसे ले सकता है। जैसे तथ्यों का उजागर किया गया है।

डॉ0 ममता दीक्षित के प्रकाशित पुस्तक प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा दशा एवं दिशा में प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा के उद्देश्य को वर्णन करते हैं स्पष्ट किया गया है कि मनु ने नारियों के उपनयन का विरोध करते हुए उसका एक मात्र विकल्प विवाह बताया है जो इस तथ्य का परिचायक है कि यदि उन्हें गुरूकुल प्रणाली जैसी शिक्षा, जिसके अंतर्गत उपनयन संस्कार सम्पादित किया जाता हो को ग्रहण करना वर्जित बताया गया है तो इतना अवश्यभावी है कि उन्हें पितृगृह में पूर्व विवाहावस्था में गृहस्थ तथा धर्म की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी जैसे तथ्यों को विश्लेषण कर उजागर करने का प्रयास किया गया है। डॉ0 सुनिता कुमारी जायसवाल के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ मनुस्मृति में वर्णित राजनीति और अर्थनीति नामक पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति हिन्दू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्म शास्त्र सहित आदि नामों से भी जाना जाता है। मनुस्मृति के नवम् अध्याय को विश्लेषित करते हुए इस अध्याय के अंतर्गत स्त्रियों के आचरणीय धर्म का निर्देश किया गया अर्थात् मनु ने स्त्रियों पर पुरूष की प्रधानता को दिखलाया है।

परिकल्पना

(Hypothesis)

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उपल्पना है :–

1. दोनो स्मृतियों, मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था में बंटी हुई थी।

2. दो स्मृतियों में नारियों के दशा का चित्रण विभिन्न आयामों से की गई है।

3. दोनो स्मृतियों में वर्ण एवं जाति अनुरूप स्त्री की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक चरित्र एवं आचरण का उल्लेखहै।

4. दोनो स्मृतियों में विदुषी महिलाओं के अस्तित्व थे।

5. दोनो स्मृतियों में स्त्री की स्वतंत्रता से उनके विकासात्मक जीवन का चित्रण होता था।

शोध प्रारूप एवं विधि

(Research Design and Research Methodology)

प्रस्तुत शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन विधि के रूप में अपनाया जाएगा। स्पष्ट है कि विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञात है। प्रस्तुत शोध कार्य में तटस्थ अथवा निष्पक्ष होकर मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति में नारी एक ऐतिहासिक अध्ययन (पंचवी शताब्दी ई0पू0 से द्वितीय शताब्दी ई0पू0) का अध्ययन किया जाएगा। अतः प्रस्तावित शोध ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित होगी शोध विधि में आधुनिक साहित्यिक ऐतिहासिक स्त्रोतों के साथ–साथ संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन तत्कालोन धार्मिक साहित्य एवं इतिहास का अध्ययन, अवलोकन, पारंपरिक आलेख, प्राथमिक अध्ययन विवरण प्रस्तुति के द्वारा प्रस्तुत शोध पूरी की जाएगी।

शोध का उद्देश्य

(objective of the investigation)

प्रस्तुत शोध के निम्लखित उद्देश्य है –

1. नारी दशा के विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।

2. नारी स्वतंत्रता का अध्ययन किया जाएगा।

3. नारी शिक्षा एवं उनकी वर्ण एवं जाति अनुरूप सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जायेगा।

4. वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्त्री की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चरित्र एवं आचरण पर अध्ययन किया जायेगा।

5. कला एवं साहित्य के क्षेत्र में नारियों की स्थिति का भी अध्ययन किया जायेगा।

शोध कार्य का महत्व

(Significance of the Study):

प्रस्तावित शोध में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति में कन्या के विवाह की आयु बहुत कम बताई गई। स्मृतिकारा के अनुसार पिता को अपनी पुत्री राजस्वला होने से पूर्व ही दान कर देनी चाहिए। यह धारणा गुप्त युग में प्रबल रूप से व्याप्त थी। बाल–विवाह के प्रचलित होने से दोष भी समाज में परिलक्षित होने लगे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह सम्मुख आया कि शिक्षा जगत में नारियाँ पिछड़ने लगी। मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति अर्थात् स्मृतिकारों ने नारियों को वैदिक शिक्षा से भी वंचित कर दिया था परंतु स्त्रियां निरक्षर नहीं होती थी। बल्कि उच्च वर्ग की स्त्रियां

उच्च ज्ञान प्राप्त करती थी। स्पष्ट होता है कि स्मृतिकारों सदा वर्णों में ब्राह्मण तथा परिवार में पति की ही प्रधानता को स्वीकार करते थे इसलिए उन्होंने अपने युग में नारियों के जीवन की स्वच्छंदता को पूर्णतया सीमाबद्ध कर दिया तथा उनको जाति के अधीन बना दिया। अतः मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति में नारी के सामाजिक जीवन की गति अवरूद्ध हो गई।

समाज की आवश्यकता एवं वर्तमान समस्या से इसकी प्रासंगिकता (Its Relevance to the present day problem and needs of society) :

वेद स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण, गरिमापूर्ण, उच्च स्थान देते हैं। महिलाओं की शिक्षा का सुंदर वर्णन–वेदों में दीक्षा, शील, सदाचार, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका दुनिया के किसी अन्य धर्मग्रंथ में नहीं मिलती है। वेद उसे घर की महारानी कहते हैं और देश का शासक बनने का अधिकार देते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की महारानी भी। वेदों में, एक महिला बलिदान है, अर्थात् एक यज्ञ की तरह पूजा की जाती है। वेदों में, ज्ञान देने वाली महिलाएं, सुख–समृद्धि, विशेष गौरव, देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सभी को जागृत करती हैं, आदि को कई सम्मानजनक नाम दिए गए हैं। वेदों में महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है–इसे हमेशा विजयिनी कहा गया है और उनके सभी कार्यों म सहयोग और प्रोत्साहन की बात की गई है।

स्मृतिकाल के दौरान, महिला एक उच्च स्थिति में थी, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी। धर्मसूत्रों ने बाल विवाह का निर्देश दिया, ताकि महिलाओं की शिक्षा बाधित हो और उनकी शिक्षा सामान्य स्तर पर आए क्योंकि उन्हें लिखने और पढ़ने के अवसर नहीं मिले, जिसके कारण वेदों के ज्ञान को असंभव बना दिया गया। उनके लिए धार्मिक समारोहों में भाग लेना वर्जित था,अर्थात् उसका मुख्य कर्तव्य अपने पति का पालन करना था। महिलाओं के

लिए विवाह को अनिवार्य बनाया गया था। विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया था। बहुविवाह–प्रथा अधिक प्रचलित हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति वैदिक युग की तुलना में बाद के वैदिक काल में घटने लगी। स्मृति युग में, महिलाओं की स्थिति में अधिक अंतर था। स्मृति युग में, महिलाओं को केवल माता क रूप में सम्मान दिया जाता था, न कि पत्नियों के रूप में। इस युग में महिलाओं के सभी अधिकार कम हो गए। स्मृतिकारों ने निर्देश दिया है कि किशोरावस्था के दौरान महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रखा जाना चाहिए। विधवाओं के पुनर्विवाह पर, गौहत्या निषेध लगाया गया था। सती को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा और यही अध्ययन की प्रासंगिकता है।

समसामयिक ज्ञान के प्रति इसकी देन

(Contribution of the existingknowledge):

प्रस्तावित शोध अध्ययन का योगदान इस बात को अनुरेखित करेगा कि मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य में वर्णित स्त्रियों की दशा पर ध्यान देकर उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करनी होगी तथा उनके लिए प्रत्येक क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने होंगे।वैदिक समय तथा मनुस्मृति काल में स्त्रियों को जो गौरव प्राप्त थे उनको वापस लाने का प्रयास भारतीय समाज को करना होगा। धार्मिक कर्मकाण्ड में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारम्परिक घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को जागरूक करके उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। महिलाएँ माँ, बहन, बेटी, पत्नी होती है। परिवार के पुरूषों से उनके सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। बच्चों को अधिकांश संस्कार माँ से प्राप्त होते हैं। यदि समाज को सुख, समृद्धशाली और उन्नत बनाना है तो समाज में महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो क्योंकि शारीरिक रूप से वे पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है तथा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस प्रकार से नारी का उत्थान

करके समाज में सम्मानित स्थान को प्राप्त करने सहयोग करेगा। ऐतिहासिक जगत में अभी इस प्रकार के अध्ययनों की कमी है। इस प्रकार के अध्ययन से जहां ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होगा। वहीं सामान्य जन भी लाभान्वित होंगे। यही इस अध्ययन का योगदान होगा।

भविष्य कार्य
(Future Work)

प्रस्तावित शोध द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि जिससे भविष्य में शोध कार्य करने वालों को सहायता मिलेगी। शोध कार्य द्वारा जितने भी तथ्य या जानकारी प्रस्तुत होगी वे भविष्य में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अध्यायीकरण
(Chapterization)

इस शोध ग्रंथ से जिन बिन्दुओं पर अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा वे निम्न अध्ययनों के अन्तर्गत आएंगे –

भूमिका

प्रथम अध्याय :– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय :– वर्ण एवं जाति अनुरूप नारियों की स्थिति

तृतीय अध्याय :– कला एवं साहित्यिक दृष्टि से नारी का चित्रण

चतुर्थ अध्याय :– नारी स्वतंत्रता के विविध आयाम

पंचम अध्याय :– नारी संघर्ष का प्रतिरोध का स्वरूप

निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची

आँकड़ा का संकलन में उपयोग हेतु उपकरण एवं तकनीक

(Tools to be used in thecollection of Data):

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोगः किया जाता है। इस अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आंकड़ों को शामिल किया गया है। प्राथमिक डेटा का संग्रह प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और अनुसूची आदि के माध्यम से किया गया है। माध्यमिक डेटा का संकलन डायरी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और विभिन्न वेबसाइटों और पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक होगी एवं सार्वजनिक प्रलेखो से सहायता से लिया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(Related Reference)

1. अनंत सदाशिव अल्टेकर 'एजुकेशन इन एशियंट इण्डिया, प्रथम संस्करण मनोहर लाल प्रकाशन वाराणसी, 1992
2. रामजी उपाध्याय 'भारत की प्राचीन संस्कृति, प्रथम संस्करण किताब महल, इलाहाबाद, 1948
3. जगदीश्वर चतुर्वेदी, 'स्त्रीवादी साहित्य विमर्श द्वितीय संस्करण, अनामिा पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2000
4. भागवत शरण उपाध्याय 'विमेन इन ऋग्वेद' प्रथम संस्करण नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स बनारस, 1941
5. अच्युतानंद धिन्द्रियाल 'प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्थाएं, प्रथम संस्करण द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0, दिल्ली, 1975

6. श्री कृष्णओझा 'प्राचीन भारतीय चिंतन का इतिहास रिसर्च' प्रथम संस्करण, रिसर्च प्रकाशन, जयपुर, 2008

7. पी.भी. काणे 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र' भाग–2, भंडारकर ओरियंटल सिरीज इन्स्टीच्युट पुनः संशोधित तीन संस्करण।

8. प्रतिभा जन एवं संगीता शर्मा, 'भारतीय स्त्री' प्रथम संस्करण रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998

9. पी.एल. भार्गव, 'इण्डिया इस वैदिक एज द अपर इण्डिया', प्रथम संस्करण, पब्लिशिंग हाउस, 1956

10. जयशंकर मिश्रा, 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रथम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002

11. उमेश चन्द्र पाण्डेय याज्ञवलक्य स्मृति, चौखमा संस्कृत सीरीज ऑफीस, वाराणसी, 1967

12. चन्द्रवली त्रिपाठी 'भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास, प्रथम संस्करण, दुर्गावती प्रकाशन, गोरखपुर, 1966

13. डॉ0 ममता दीक्षित, 'प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा दशा एवं दिशा प्रथम संस्करण, प्रकाशक सत्यम पब्लिशिंग हाऊस, 2015, पृ0सं0 97–98

14. राधा कुमार : स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002

15. डॉ0 सुनिता कुमारी, जायसवाल 'मनुस्मृति में वर्णित राजनीति और अर्थनीति, प्रथम संस्करण, प्रिय साहित्य सदन, सोनिया बिहार, 2024

16. डॉ0 मीरा कुमारी, प्राचीन भारत में भरी शिक्षा, प्रथम संस्करण, विकल्प प्रकाशन, सोनिया बिहार, 2022

17. शकुंतला राव शास्त्री, ''विमेन इन द वैदिक एज'' में वैदिक काल में नारी शिक्षा संबंधी विषय को

18. वी० एस० भार्गव, प्राचीन भारतीय इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1988

19. जयशंकर मिश्रा, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002

20. शकुंतला राव शास्त्री, 'विमेन इन द वैदिक एज' में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में प्राचीन काल में नारी शिक्षा संबंधी विषय को दर्शाने के लिए गार्गी जैसे विदुषी को केन्द्र में रखकर स्पष्टीकरण किया गया है।

शोध निर्देशक

डॉ0 राज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची।
मो0 नं0–9431182959

शोधार्थी

आशिष चन्द्रा
इतिहास विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची।
मो0 नं0– 9709087174